



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं.: GCCO/II/3/POST/5/2025-ADMN

कार्यालय आदेश सं. : 23/2025

दिनांक: 27.11.2025

संवर्ग नियंत्रण ईकाई (Cadre Control Unit), मुख्य आयुक्त कार्यालय, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन का कार्यभार सुश्री आर्निका यादव, संयुक्त आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर के स्थान पर सुश्री निष्ठा शर्मा, संयुक्त आयुक्त, मुख्य आयुक्त कार्यालय, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन को उनके नियमित कार्यभार के साथ तुरंत प्रभाव से एवं अग्रिम आदेशों तक सौंपा जाता है।

यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं सीएक्स, जयपुर क्षेत्र, जयपुर की स्वीकृति से जारी किए जा रहे हैं।

(अनुपमा सक्सेना)
सहायक आयुक्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रधान आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर।
2. अपर महानिदेशक (HRM-II), डीजीएचआरडी, नई दिल्ली।
3. अवर सचिव (Ad.II), केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली।
4. सुश्री निष्ठा शर्मा, संयुक्त आयुक्त, मुख्य आयुक्त कार्यालय, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन, जयपुर।
5. सुश्री आर्निका यादव, संयुक्त आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु. आयुक्तालय, जयपुर।
6. सहायक आयुक्त (CCU), सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन।
7. वेबमास्टर - जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 (राजस्थान)

फोन : 0141-2385155; फैक्स : 0141-2385130, ईमेल : ccu-cexjpr@nic.in,

वेबसाइट: www.cgstjaipur.gov.in, ट्वीटर : @CGSTJAIPURZONE